उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक उड्डयन अनुभाग
संख्या : 19/2025/125 /छप्पन-2025
लखनऊ : दिनांक : 20 फरवरी, 2025

फार्म बी0एम0-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन

(बजट मैनुअल का प्रस्तर-158 देखें)

अनुदान संख्या व नाम : अनुदान संख्या-38, नागरिक उड्डयन अनुभाग वित्तीय वर्ष : 2024-25 (धनराशि लाख रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में) राजस्व लेखा	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
राजस्व-लेखाशीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-114-वाहन का क्रय तथा रख-रखाव-03- नागरिक उड्डयन निदेशालय					
207001140000301	388.45	83.00	83.00	83.00	305.45
207001140000303	213.65	50.00	50.00	50.00	163.65
207001140000304	20.00	8.00	8.00	8.00	12.00
207001140000306	245.00	90.00	90.00	90.00	155.00
207001140000309	90.00	15.00	15.00	15.00	75.00
207001140000316	10.00	7.00	7.00	7.00	3.00
राजस्व-लेखाशीर्षक-3053-नागर विमानन-02-विमानपत्तन-102-हवाई अड्डा-03- हवाई पट्टियों का					

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अनुरक्षण-29-अनुरक्षण					
305302102030029	197.00	154.30	154.30	154.30	42.70
योग	1164.10	407.30	407.30	407.30	756.80

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में) राजस्व लेखा	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
राजस्व-लेखाशीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-114-वाहन का क्रय तथा रख-रखाव-03- नागरिक उड्डयन निदेशालय					
207001140000308	7.00	8.00	1.00	1.00	8.00
207001140000312	5.00	7.00	2.00	2.00	7.00
207001140000342	2300.00	2700.00	400.00	400.00	2700.00
207001140000358	30.00	34.30	4.30	4.30	34.30
योग	2342.00	2749.30	407.30	407.30	2749.30

1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत के कारण निम्नानुसार हैः- चालू वित्तीय वर्ष में आवश्यकतानुसार वास्तविकता के आधार पर व्यय किए जाने के कारण बचत सम्भावित है।

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्न कारणों से है- निदेशालय के वायुयानों/हेलीकाप्टरके फालतू पुर्जो, आदि का क्रय तथा गत वर्ष की तुलना में वायुयानों पर ईधन का अत्याधिक व्यय के अतिरिक्त शिड्यूलअनशिड्यूल एवं अन्य अनुरक्षण

आर.ई. संख्या–बजट-1-401, दिनांक : 19 फरवरी, 2025

सेवा में,

महालेखाकार,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

कार्यों हेतु अत्याधिक व्यय, अन्य मदों में आवश्यकतानुसार व्यय किये जाने के कारण व्याधिक्य हो रहा है। प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर- 150 ,151, 154 व 155 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है। (अभिनव कुमार चौरसिया) अनु सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग।	(लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। हस्ताक्षर ..... (कुँवर मकरन्द सिंह) संयुक्त सचिव, वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उत्तर प्रदेश शासन।
<u>संख्या : 19/2025/125(1)/छप्पन-2025-तद्दिनांक</u> प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :- 1- निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ। 2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ। 3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ। 4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो प्रतियों में) 6- गार्ड बुक।	(अभिनव कुमार चौरसिया) अनु सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।